

Copy
31/5/77



Page No. 586
Po = 1530
Km = 10
No = 1540

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

on 4/6/77

सं० 22]
No. 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 28, 1977/ज्येष्ठ 7, 1899
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28, 1977/JYAISTHA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

गृह मंत्रालय

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली, 5 मई, 1977

स।० क्र।० नि० 661—उविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के महापंजीकार तथा पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय (मानचित्र अधिकारी) श्रेणी 1 भर्ती नियम, 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय (मानचित्र अधिकारी) श्रेणी 1 भर्ती (संशोधन) नियम 1977 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय (मानचित्र अधिकारी) श्रेणी 1 भर्ती नियम, 1968 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 3 के परन्तुक को निकाल दिया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

"4. निरूहताएं:—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करना तय किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करना तय किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु इस सम्बन्ध में यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य प्रसकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।"

Attested *[Signature]*

श्री १०१०१, प्रकाशन विभाग,
विश्व विद्यालय, दिल्ली-54 2/1/77

1. (1) These rules may be called the Punching Staff (Labour Bureau) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punching Staff (Labour Bureau) Recruitment Rules, 1967,—

(a) the proviso to Rule 4 shall be deleted.

(b) in the Schedule attached to the said rules against the posts "Punch Supervisor/Verifier Supervisor" for the existing entry under column 10, the entry "100 per cent by promotion" shall be substituted.

[No. A-12018/11/74-LB]

R. S. DESHPANDE, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 1977

सा.का.नि. 877.—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 1977 है।
2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 1 में, उप-पैरा (3) के खण्ड (ख) में उपखण्ड (LXXXII) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(LXXXIII) बीड़ी उद्योग, अर्थात् :—

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. 660 तारीख 17 मार्च, 1977 में विनिर्दिष्ट बीड़ी विनिर्माण में लगने हुए किसी उद्योग की दायत 31 मई, 1977 को पवृत्त होगी।”

[सं. 4(9)/66-पी. एफ. II]

एस. एस. साहरानामन, डय सचिव

New Delhi, the 23rd May, 1977

G.S.R. 677.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with sub-section (1) of section 7, of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees, Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 1977.
2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in clause (b) of sub-paragraph (3) of paragraph 1, after sub-clause (LXXXII), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

“(LXXXIII) as respects the beedi industry, that is to say, any industry engaged in the manufacture of beedis, specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 660 dated the 17th May, 1977, come into force on the 31st May, 1977.”

[No. 4(9)/66-PF II]

S. S. SAHASRANAMA, Dy. Secy.

Attested



सचिव, श्रम विभाग,
विशेष कार्यालय, दिल्ली-110006

21/11/77